# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम** आई.ए.एस.

**अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 237/2023**

राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 रामसिंह, जाति कम्बोसिख, निवासी ढाणी बलवंत सिंह, प्रेमनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

**– – प्रार्थी**

## बनाम

1. कुलदीप सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह, जाति कम्बोसिख, निवासी चक छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. ग्राम पंचायत चक 4 एम. एल, श्रीगंगानगर जरिये संरपच ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

**–– अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम**

**–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–**

1. श्री प्रदीप सिहाग – – प्रार्थी
2. श्री काशीराम रणवा – – अप्रार्थी 1
3. अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

## –:: आदेश ::–

**दिनांक :–24.12.2025**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त अनवानी वाद पत्र प्रार्थी द्वारा बाबत् घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा हेतू माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर वाद पत्र के स्वीकार होने की पूरी–पूरी सम्भावना है। तथ्यों की पुनरावृति निवारण हेतु वर्तमान प्रार्थना पत्र को वाद पत्र का अभिन्न अंग मान कर पढ़ा जावे। प्रार्थी स्वः रामसिंह पुत्र जवाला सिंह का विधिक वारिस है तथा स्वः रामसिंह का देहांत दिनांक 26.05.2003 को हो चुका है। स्वः रामसिंह के नाम से चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 15 ता 18 एवं किला नम्बर 20 ता 25 में कुल 2.215 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिसे प्रार्थी के पिता स्व० रामसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में कभी किसी अन्य व्यक्ति को बेचान या उक्त कृषि भूमि के सबंध में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई थी। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा स्व0 रामसिंह के नाम दर्ज उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 15/2 की 0.114 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 सालम, किला नम्बर 17 की 0.095 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 की 0.152 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 की 0.202 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 23 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 24 की 0.228 हैक्टेयर एवं किला नम्बर 25 की 0.228 हैक्टेयर यानि कुल 1.728 हैक्टेयर नहरी मय

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

खाला कृषि भूमि को अपने नाम इंतकाल संख्या 236 के माध्यम से दिनांक 22.09.2008 को गलत रुप से मिथ्या दस्तावेजो के आधार पर जो कि अस्तित्व में ही नहीं है, ग्राम पंचायत चक 4 एम. एल से मिलिभगत कर अपने नाम दर्ज करवा लिया गया जो प्रार्थी के हितो पर निष्प्रभावी है। छाया प्रति इंतकाल संख्या 236, दिनांकित 22.09.2008 एवं वर्तमान जमाबंदी सलंग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के पिता स्व० रामसिंह द्वारा अपने स्वामित्व की उपरोक्त वर्णित प्रश्नगत कृषि भूमि के सबंध में अप्रार्थी संख्या 1 पक्ष में कभी कोई वैध दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया जैसा कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इंतकाल संख्या 236 के माध्यम से बैयनामा दिनांकित 23.04.1982 एवं वसीयत दिनांकित 20.03.2003 का आधार लेकर ग्राम पंचायत चक 4 एम.एल के तत्कालीन संरपच से मिलिभगत कर बिना कोई ऐसे वैध दस्तावेज के अस्तित्व में रहते मिथ्या दस्तावेजों का आधार देकर वादी के पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 15/2, 16, 17, 20 ता 25 की कुल 1.728 हैक्टेयर कृषि भूमि का इंतकाल अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सम्बंधित कर्मचारीगण से आपसी सॉठ–गाँठ कर अपने नाम गलत रूप से बिना कोई वैध दस्तावेज अस्तित्व में रहते, दर्ज करवा लिया गया जो प्रार्थी के हितो पर प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी है अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 को ऐसे दस्तावेज से जो अस्तित्व में ही नहीं है, से कोई विधिक अधिकार स्वामित्व सम्बंधी प्राप्त नहीं होते है। अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत को ऐसा कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह इंतकाल दर्ज करने सम्बंधी विधिक प्रक्रिया का प्रयोग कर अर्थात इंतकाल दर्ज करने सम्बंधी ऐसी कोई शक्तियां विधिक प्रावधानो के तहत ग्राम पंचायत को प्रदान नहीं की गई है जिस कारण इंतकाल संख्या 236 दिनांकित 22.09.2008 प्रारम्भतः शून्य होने के फलस्वरुप निरस्त कर पुनः दुरुस्त कर स्व0 रामसिंह के विधिक वारिसान के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 को ऐसे इंतकाल से जो प्रारम्भतः विधि विरूद्ध है, से कोई विधिक अधिकार सृजित नहीं होते है जिस कारण प्रार्थी के हक व अधिकारों पर ऐसा विधि विरूद्ध आदेश प्रारम्भतः प्रभाव शून्य है। प्रश्नगत भूमि में से मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 20 की 0.152 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 की 0.202 हैक्टेयर एवं किला नम्बर 22 की 0.228 हैक्टेयर कृषि भूमि को नगर विकास न्यास द्वारा अधिग्रहण कर ली गई है जिसके सबंध में प्रार्थी द्वारा कोई अनुतोष वाद पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्राप्त नहीं कर रहा है। शेष कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 63 की कुल 1.146 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसका अनुचित लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से अप्रार्थी संख्या 1 उसे अन्यत्र बेचान करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। प्रश्नगत कृषि भूमि के कब्जा का आदान प्रदान भी कभी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नहीं किया गया अर्थात प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा आज भी प्रार्थी के पास चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विधिविरूद्ध रुप से प्रश्नगत सम्पत्ति को अपने नाम दर्ज करवा उसका अनुचित लाभ प्राप्त किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रश्नगत भूमि जो बिना कोई विधिक दस्तावेज के आधार पर उसके द्वारा अपने नाम अप्रार्थी संख्या 2 से दुरभिसंधि कर दर्ज करवा ली गई है, को अन्यत्र बेचान करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने मकसद में सफल हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी तथा वाद की बहुलता बढेगी तो ऐसी स्थिति में प्रश्नगत सम्पत्ति को वाद के विचारण के दौरान विधिनुसार सुरक्षित किया जाना.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अतिआवश्यक है। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। प्रश्नगत कृषि भूमि शहर के नजदीक स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बिना कोई वैध दस्तावेज के प्रश्नगत कृषि भूमि को अपने नाम विधिविरूद्ध रुप से इंतकाल संख्या 236 के माध्यम से दिनांक 22.09.2008 को दर्ज करवा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवा ली गई है। प्रार्थी द्वारा जब उक्त विधिविरूद्ध कार्यवाही का ज्ञान हुआ तो अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि पुनः उसके पिता के नाम दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह धमकी दी गई वह ऐसा किसी भी सूरत में नहीं करेगा तथा उक्त भूमि जो उसके नाम दर्ज है, शीघ्र ही अन्यत्र किसी अन्य पक्षकार को बेचान कर देगा। अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने मकसद में सफल हो जाता है तो प्रार्थी को अपने हक व अधिकारो से वंचित रहना पडेगा तथा प्रार्थी के विधिक अधिकारो का हनन होगा। इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में स्थगन प्रदान किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में ता फैसला इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जावें कि चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/09 में दर्ज मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 15/2 ता 25/2 की कुल 1.146 हैक्टेयर नहरी मय खाला की कृषि भूमि के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे।

**प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या** 1 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी बंद किया गया।

**वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी गई।** बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्व0 रामसिंह के नाम दर्ज प्रश्नगत कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 15/2 ता 25/2 की कुल 1.146 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा गलत तौर से इंतकाल संख्या 236 के माध्यम से अपने नाम दर्ज करवा लेने बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त भूमि पर स्थगन चाहा गया है। मूल वाद का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना है इसलिए मूल के निस्तारण में समय लगेगा। विवादास्पद भूमि के बैय अथवा अन्य किसी को हस्तान्तरित होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का औचित्य समाप्त हो जायेगा एवं पक्षकारो के मध्य वाद विवाद बढ़ेगा। इस स्थिति में पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता को रोकने के लिए एवं सम्पत्ति की संरक्षा के लिए निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 16.11.2023 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर दाखिल अभिलेखागार रहे।

आदेश आज दिंनाक 24.12.2025 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner